वर्ष 2019–2020 के लिए ठेकों के नियम व शर्तें निम्नवत् होंगी।

1– बोली बोलने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को होगा जो, जिस ठेके की बोली में भाग लेना चाहता है, वह निम्न प्रकार बतौर अग्रिम नजारत में जमा करेगा तथा यह अण्डरटेकिंग देगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक वाद लम्बित नहीं है।

a–ठेका दुकान –मिठाई, चाय, नमकीन, पूड़ी व सब्जी।	(बतौर अग्रिम धनराशि 40,000/–रू0)
b–ठेका दुकान –फ्रूट जूस व कोल्ड ड्रिंक्स।	(बतौर अग्रिम धनराशि 40,000/–रू0)
c–ठेका दुकान –ठेका साइकिल स्टैन्ड।	(बतौर अग्रिम धनराशि 90,000/–रू0)
d–ठेका दुकान –फोटो स्टेट मशीन दुकान।	(बतौर अग्रिम धनराशि 60,000/–रू0)
e–ठेका दुकान –फोटो ग्राफर दुकान।	(बतौर अग्रिम धनराशि 30,000/–रू0)
f–ठेका दुकान –पान।	(बतौर अग्रिम धनराशि 10,000/–रू0)
g–ठेका दुकान –मजमा।	(बतौर अग्रिम धनराशि 5,000/–रू0)
h–ठेका –पैन व लेखन सामग्री।	(बतौर अग्रिम धनराशि 3,000/–रू0)

2– ठेके की अवधि दिनांक 01–04–2019 से दिनांक 31–03–2020 तक होगी।

3– जिस ठेकेदार की बोली सबसे अधिक होगी, उसे बोली के समापन के तुरन्त बाद सम्बन्धित ठेके की धनराशि का 1/4 भाग बतौर ठेका की धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। यदि बोलीदाता द्वारा यह धनराशि जमा न की गयी तो उसकी धरोहर धनराशि राज्य सरकार के हित में जब्त कर ली जायेगी तथा ठेका दूसरे अधिकतम बोलीदार को उठा दिया जायेगा।

4– यदि बोली बोलने वाले ठेकेदारों की बोली स्वीकृत नहीं होगी तो उनकी धरोहर धनराशि अगले कार्य दिवस में वापस कर दी जायेगी।

5– ठेकेदारों को शेष धनराशि की तीन समान किस्तें कमश 30.06.2019, 30.09.2019 व 31.12.2019 तक अवश्य जमा करनी होंगी। अन्यथा उसका ठेका शेष अवधि के लिए समाप्त समझा जायेगा तथा कार्य स्थल पर नजारत द्वारा ताला बन्दी करके ठेके की शेष अवधि के लिए पुनः कार्यवाही करते हुए शेष धनराशि की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, तथा ठेके की शेष धनराशि ठेकेदार से भूराजस्व के बकाया की तरह उसकी चल व अचल सम्पत्ति से वसूल की जायेगी तथा पुनः नीलामी की बोली पर होने वाली हानि भी हर्जे–खर्चे सहित उक्त ठेकेदार से वसूल की जायेगी।

6– ठेका स्वीकृत होने के पश्चात प्रत्येक ठेकेदार द्वारा नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा लिख कर दाखिल करने के बाद ठेकेदार को ठेका प्रारम्भ करने की अनुमति दी जायेगी। इकरारनामे पर ठेकेदार के दो नवीनतम फोटो पासपोर्ट साइज भी लिए जायेंगे।

7– प्रत्येक ठेकेदार को नीलामी के समय अपनी हैसियत प्रमाण–पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र भी धरोहर धनराशि के साथ ही प्रस्तुत करने होंगे।

8– प्रत्येक ठेकेदार ठेके पर दुकान का संचालन करेगा, तथा अपने ठेके पर ली दुकान को किसी अन्य के द्वारा संचालित नहीं करायेगा, और न ही किसी को अन्य प्रकार से दुकान पर किसी प्रकार का माल आदि बेचने को अधिकृत करेगा। निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कोई ठेकेदार अपना कार्य नहीं कर सकेगा।

9– माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को, किसी भी व्यक्ति की बोली को निरस्त करने का अधिकार होगा।

10– ठेकेदार को दुकान के भीतर व बाहर की सफाई व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा सारा सामान, बर्तन, पानी आदि स्वयं रखना होगा तथा सफाई न करने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

11– ठेकेदार को सारा सामान जनता के स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए साफ सुथरा व सही रखना होगा। जांच के दौरान कोई सामान मिलावटी, खराब, सड़ा गला मिलने पर उसे जब्त कर फेंक दिया जायेगा तथा ठेका रद्द कर जमा की गयी रकम जब्त करते हुए शर्त सं0–5 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

12– हर ठेकेदार को सार्वजनिक स्थान पर व अपनी दुकान पर रेट बोर्ड लगाना होगा, जो बाजार की दरों के अनुरूप अथवा माननीय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा स्वीकृत की गयी होगी तथा कोई भी ठेकेदार पालीथिन का प्रयोग नही करेगा।

13– प्रत्येक ठेकेदार को अपनी दुकान के लिए अस्थायी स्ट्रैक्चर निर्धारित स्थान पर स्वयं के खर्चे से करना होगा, जो ठेका समाप्ती की तिथि अथवा शर्त भंग की तिथि को अस्थायी स्ट्रैक्चर स्वंय हटाना होगा। जनपद न्यायाधीश महोदय, फिरोजाबाद के निर्देशानुसार पूर्व से ही स्थान का निर्धारण निश्चित है, निर्धारित स्थान पर ही ठेका कार्य किया जायेगा।

14– वर्ष 2018–2019 में जिन ठेकेदारों द्वारा न्यायालय परिसर में कोई भी ठेका लिया गया है और अभी तक ठेके की पूर्ण धनराशि जमा नहीं की है तो उक्त ठेकेदार को इस वर्ष की नीलामी में भाग लेने हेतु पूर्व वर्ष की शेष धनराशि को आवेदन के समय नजारत में जमा कर अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा अन्यथा वह बोली में भाग लेने का अधिकारी नहीं होगा।

(जयसिंह पुण्डीर)
सदस्य/ठेका नीलामी समिति
तृतीय अपर जिला जज,
फिरोजाबाद।

(इंद्रजीत कुमार) 28/3/19
अध्यक्ष/ठेका नीलामी समिति/
प्रथम अपर जिला जज,
फिरोजाबाद।

Seen. Approved.

DISTRICT JUDGE, District Judge,
FIROZABAD Firozabad. 28/3/19

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद।

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019--2020 हेतु जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद सिविल लाईन स्थित परिसर के निम्नलिखित ठेकों की नीलामी हेतु नियत दिनांक 25--03--2019 को 1:00 बजे तक प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते है तथा समय सायं 04:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य सभागार में ठेकों की नीलामी की जायेगी।

1--ठेका विक्रय	-- मिठाई, चाय, नमकीन, पूड़ी व सब्जी।	(बतौर अग्रिम धनराशि 40,000/--रू0)
2--ठेका विक्रय	-- फ्रूट जूस व कोल्ड ड्रिंक्स।	(बतौर अग्रिम धनराशि 40,000/--रू0)
3--ठेका	-- ठेका साइकिल स्टैन्ड।	(बतौर अग्रिम धनराशि 90,000/--रू0)
4--ठेका	-- फोटो स्टेट मशीन।	(बतौर अग्रिम धनराशि 60,000/--रू0)
5--ठेका	-- फोटो ग्राफर।	(बतौर अग्रिम धनराशि 30,000/--रू0)
6--ठेका	-- पान।	(बतौर अग्रिम धनराशि 10,000/--रू0)
7--ठेका	-- मजमा।	(बतौर अग्रिम धनराशि 5,000/--रू0)
8--ठेका	-- पैन व लेखन सामग्री।	(बतौर अग्रिम धनराशि 3,000/--रू0)

नीलामी हेतु समय से पूर्व बोली बोलने वाला, जिस ठेके की बोली में भाग लेना चाहता है, उसकी निर्धारित बतौर अग्रिम जमानत धनराशि नजारत में जमा करेगा, जो बोली स्वीकार होने पर ठेके की राशि में समायोजित हो जायेंगे अन्यथा अगले कार्य दिवस को वापस कर दिये जायेंगे। शेष नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत अनुभाग, के नोटिस बोर्ड पर या नजारत अनुभाग जजी, फिरोजाबाद से प्राप्त की जा सकती हैं।

(जयसिंह पुण्डीर)
सदस्य/ठेका नीलामी समिति
तृतीय अपर जिला जज,
फिरोजाबाद।

08/3/19
(इंद्रेश कुमार)
अध्यक्ष/ठेका नीलामी समिति/
प्रथम अपर जिला जज,
फिरोजाबाद।

प्रतिलिपि:--
निम्नलिखित को सूचना पट पर चस्पा करने व बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
1--माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2--जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु
3--स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
4--जनपद के समस्त मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
2. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद।
3. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
4. कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, फिरोजाबाद।
5. कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद।

6. रेलवेस्टेशन, बस स्टैण्ड व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञप्ति चस्पा कराने हेतु।

Seen. Approved.

District Judge,
Firozabad. 8/3/19
DISTRICT JUDGE
FIROZABAD